फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

समस्त ग्रामवासियान बोहेड़ा वगैरा
बनाम
किशन सिंह पिता जोधसिंह चौहान वगैरा

प्रकरण संख्या 38/2016 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष आज भी अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण वर्ष 2016 से विचाराधीन होकर दिनांक 27.12.2019 से बहस की स्टेज पर लम्बित है। उभय पक्ष को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिए गए फिर भी उनके द्वारा प्रकरण में बहस नहीं कर बार–बार अवसर चाहे गए। उभय पक्ष प्रकरण में दिनांक 17.06.2022 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। उभय पक्ष को दिनांक 04.08.2022 को भी अनुपस्थित रहने पर न्यायहित में अवसर देते हुए आगामी पेशी पर उपस्थित होने बाबत् निर्देशित किया गया था किन्तु फिर भी वे आज भी उपस्थित नहीं हुए है। अर्थात् उभय पक्ष अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। न्यायालय समय में उभय पक्ष को पुनः आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के विकास अधिकारी बडीसादडी के मार्फत् प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	